परिपत्र सं. 17/2020-सीमा शुल्क

एफ.सं.473/02/2020-एलसी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

कमरा नं 49, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 03 अप्रैल, 2020

सेवा में,

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक),
सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर,
सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क / सीमा शुल्क (निवारक), सभी प्रधान आयुक्त / आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय कर

विषय: लॉकडाउन अवधि के दौरान व्यापार की सुविधा के लिए उपाय - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए - संदर्भ।

महोदया/महोदय,

बोर्ड को देश में COVID-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन अवधि के दौरान आयातकों/निर्यातकों और उनके अधिकृत सीमा शुल्क आढ़तियों द्वारा माल के मूल्यांकन और निकासी के दौरान कुछ स्थितियों में सीमा शुल्क द्वारा आवश्यक बांड प्रस्तुत करने के लिए नोटरीकृत स्टाम्प पेपर्स के मामले में आ रही कठिनाई के बारे में क्षेत्र संरचनाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। । उक्त महामारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय वर्तमान में दिनांक 25.03.2020 से 21 दिनों की अवधि के लिए लागू हैं अर्थात दिनांक 14.04.2020 तक।

2. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने माल की सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने और सीमा शुल्क नियंत्रण और वैध व्यापार की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 143एए के अनुसार अस्थायी अवधि के लिए कुछ उपाय करने का निर्णय लिया है।

3.4.3 आयोग ने सिफारिश की है कि लोक सेवकों के लिए लोक सेवकों का चयन इस संबंध में, बोर्ड ने इस परिपत्र में नीचे सूचीबद्ध शर्तों के अनुपालन के अधीन, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 18, धारा 59 और धारा 143 के तहत और धारा 25 के अनुसार जारी अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित बांड जमा करने की आवश्यकता में छूट को मंजूरी दी है।

3.1 जबकि उपर्युक्त लॉकडाउन वर्तमान में 14.04.2020 तक लागू है, यह देखते हुए कि आयातक/निर्यातक को इसके बाद स्थिति सामान्य होने तक कुछ और समय के लिए बांड प्रस्तुत करने की आवश्यकता का पालन करना मुश्किल हो सकता है, उक्त छूट 30.04.2020 तक उपलब्ध होगी। हालांकि यह छूट लॉकडाउन अवधि के अंत में बोर्ड द्वारा समीक्षा के अधीन होगी अर्थात 14.04.2020

3.2 30.04.2020 तक की अवधि में, सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं उपरोक्त प्रावधानों के तहत निर्धारित बांड के बदले आयातक/निर्यातक से एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध स्वीकार कर सकती हैं। यह छूट आयातकों/निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होगी:

ए। सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के शपथ पत्र (केंद्र/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश) सरकारें। या प्रशासन और उनके शपथ पत्र)

बी। निर्माता / वास्तविक उपयोगकर्ता आयातक

ग. प्राधिकृत आर्थिक संचालक

डी। स्थिति धारक

इ। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 59 के अनुसार वेयरहाउस सुविधा का लाभ उठाने वाले सभी आयातक

3.3 ऐसी प्रत्येक छूट, जहां अनुरोध किया गया है, निम्नलिखित शर्तों का पालन करना चाहिए:

i. शपथ पत्र की सामग्री, जहां तक संभव हो, निर्धारित बांड की सामग्री के समान होनी चाहिए।

ii. शपथ पत्र को संबंधित आईईसी धारक द्वारा अपने व्यवसाय पत्र शीर्ष पर विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और आईईसी धारक या उनके अधिकृत सीमा शुल्क ब्रोकर के पंजीकृत ईमेल आईडी द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

iii. शपथ पत्र में आईईसी धारक से नोटरीकृत स्टांप पेपर आदि पर निर्धारित प्रारूप में उचित बांड जमा करने की प्रतिबद्धता शामिल होनी चाहिए। 07.05.2020 को या उससे पहले।

iv. जहां भी अनिवार्य हो, शपथ पत्र को सुरक्षा के विकल्प के रूप में नहीं माना जाएगा।

v. जहां आवश्यक हो, सुरक्षा को उचित अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले स्वरूप और तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विशिष्ट मामलों में ऐसी सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी बोर्ड के निर्देशों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

vi. वेयरहाउस किए गए माल के मामले में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 67 के तहत किसी अन्य गोदाम में माल की किसी भी बाद की आवाजाही को केवल निर्माता/वास्तविक उपयोगकर्ता आयातक या एईओ या स्थिति धारकों को अनुमति दी जाएगी। वेयरहाउसिंग के बाद स्वामित्व में परिवर्तन से संबंधित अनुरोधों के लिए, सुविधा पर केवल उन मामलों में विचार किया जाएगा जहां संभावित खरीदार या तो निर्माता/वास्तविक उपयोगकर्ता आयातक या एईओ या स्थिति धारक है।

4 बांड जमा करने से इस तरह की छूट पर किसी भी अन्य आयातक और निर्यातक के लिए मामला दर मामला आधार पर भी विचार किया जा सकता है, जो इसके लिए अनुरोध करता है, इस परिपत्र में सूचीबद्ध लोगों के अलावा इस तरह के अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के साथ, जैसा कि क्षेत्राधिकार आयुक्त द्वारा उचित समझा जाता है। राजस्व की रक्षा करना और वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

5.भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा इस सुविधा का लाभ उठाने वाले आयातक/निर्यातक यह सुनिश्चित करेंगे कि बांड के बदले प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र को निर्धारित अवधि से पहले उचित बांड के साथ विधिवत प्रतिस्थापित किया गया है अर्थात 07.05.2020 सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाएं उनके द्वारा अनुमत छूट के सभी मामलों का रिकॉर्ड बनाए रखेंगी।

6 व्यापार और उद्योग का मार्गदर्शन करने के लिए उपयुक्त व्यापार सूचना / स्थायी आदेश जारी किया जा सकता है। इस परिपत्र के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाई, यदि कोई हो, को तुरंत बोर्ड के ध्यान में लाया जा सकता है।

(एम. संघ)
संयुक्त आयुक्त (सीमा शुल्क)